सं०: डब्ल्यू-11045/2/2012-सीआरएसपी

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(निर्मल भारत अभियान)

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003
दिनांक: 25/04/2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
प्रभारी-ग्रामीण जल एवं स्वच्छता- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडीसा, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल।

विषय: वर्ष 2011 के लिए एनजीपी अवार्ड फंड एवं एनजीपी राज्य कार्य फंड के विषय में उपयोग-प्रमाणपत्र तथा व्यय/लेखा परीक्षा की विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना।

महोदय,

मुझे एनजीपी 2011 अवार्ड राशि तथा एनजीपी राज्य कार्य फंड के जारी होने से संबंधित इस मंत्रालय के समसंख्यक स्वीकृति आदेश दिनांक 25/12/2012 को भेजने का निर्देश हुआ है और यह कहना है कि स्वीकृति आदेश के पैरा-2 की शर्तों के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान एनजीपी के लिए जारी राशि के वितरण का राज्य द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के बाद और वर्ष 2011 के लिए एनजीपी अवार्ड राशि एवं एनजीपी राज्य कार्य फंड के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र तथा व्यय का विस्तृत विवरण/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही शेष अवार्ड राशि जारी की जाएगी। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अपेक्षित कागजात इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. टीओआर के अनुसार, उपयोग-विवरण एनजीपी कार्य 2011 के पूरा होने के बाद इस मंत्रालय को भजा जाना चाहिए जो उपरोक्त राज्यों से प्राप्त नहीं हुआ है। एनजीपी 2013 से संबंधित गतिविधियों के लिए इन राज्यों को पहले जारी फंड के उपयोग प्रमाणपत्रों की अनुपस्थिति उन राज्यों को फंड जारी करने में प्रतिकूल प्रमाण डालेगी।

3. आपसे अनुरोध है कि आप मामले को देखें और दस्तावेज इस कार्यालय को तत्काल भिजवाएँ जिससे कि एनजीपी 2013 के लिए सभी अनुसूचित गतिविधियों को फंड जारी करने सहित समयबद्ध तरीके से शुरू किया जा सके।

भवदीय

(सुजॉय मजुमदार)
निदेशक (एनबीए)